छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्र. 267/2002

अपीलार्थी(कारावास में):

मदन लाल, आत्मज रामलाल, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी संजय नगर, भानुप्रतापपुर, थाना एवं तहसील: भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर (छ.ग.)।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी:

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना: भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत प्रस्तुत दाण्डिक अपील</u>

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्र. 267/2002

मदन लाल

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

<u>निर्णय</u>

दिनांक 11.12.2006 हेतु सूचीबद्ध करें ।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्र. 267/2002

मदन लाल

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थिति :

श्री आदिल मिन्हाज एवं श्री कासिफ शकील, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

राज्य हेतु श्री सुधीर बाजपेयी, उप शासकीय अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>निर्णय</u>

(11.12.2006)

<u>सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश के अनुसार:</u>

(1) यह अपील सत्र प्रकरण क्र. 389/2001 में दिनांक 13.2.2002 को विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, बस्तर स्थित जगदलपुर द्वारा अपीलार्थी को दिए गए दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (जिसे इसके पश्चात विशेष अधिनियम के

रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 3(1)(**xii**) के तहत दोषसिद्ध किया गया है और क्रमशः 7 वर्ष के कठोर कारावास और 3000/- रुपये केअर्थदंड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की स्थिति में छः माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है।

(2) अभियोजन का प्रकरण यह है कि अभियोक्त्री कु. जवेंद्री उर्फ पुष्पा, जिसकी आयु लगभग 15 वर्ष थी, के साथ इस अपीलार्थी द्वारा विवाह करने का झांसा देकर कई बार संभोग किया गया। उनके लंबे यौन संबंधों के परिणामस्वरूप, अभियोक्त्री गर्भवती हो गई, जिसके कारण गाँव में एक बैठक आयोजित की गई और जब बैठक से कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला, तो अभियोक्त्री द्वारा दिनांक 18.6.2001 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस रिपोर्ट में उसने आरोप लगाया है कि रिपोर्ट दर्ज कराने से एक वर्ष पूर्व पहली बार अपीलार्थी द्वारा उसके साथ संभोग किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श पी.3 के रूप में सिद्ध किया गया है। इस रिपोर्ट पर विवेचना प्रारंभ हुई और अंततः इसके पूर्ण होने के पश्चात, भारतीय दंड संहिता और विशेष अधिनियम की पूर्वोक्त धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। विचारण पूर्ण होने पर, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता और विशेष अधिनियम की उक्त धाराओं के तहत सिद्धदोष पाया गया और उपरोक्त संदर्भित दण्डों को समवर्ती रूप से भुगतने का निर्देश दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) अभियोक्त्री कु. जवेंद्री उर्फ पुष्पा (अभि.सा.3) के आचरण के आधार पर, विशेष न्यायाधीश ने निर्णय की कंडिका 15 के माध्यम से यह निष्कर्ष दर्ज किया कि सभी समय संभोग अभियोक्त्री की सहमति से किए गए थे और वह एक सहमत पक्ष थी, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी.3) की सामग्री से भी समर्थित है। यद्यपि, उन्होंने यह निष्कर्ष भी दर्ज किया कि चूंकि अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम सिद्ध हुई थी, इसलिए उसकी सहमति दर्शाने वाले उसके आचरण का कोई अर्थ नहीं होगा और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के तहत अपराध का दोषी माना जाएगा। विशेष अधिनियम के तहत अपराध के लिए, विशेष न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि अभियोक्त्री गोंड जाति की है, जिसे उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है, और अपीलार्थी ने अभियोक्त्री की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में रहते हुए उसका यौन शोषण किया है, इसलिए वह विशेष अधिनियम की धारा 3(1)(**xii**) के तहत दंडनीय अपराध का भी दोषी होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोक्त्री की आयु के संबंध में निष्कर्ष विधिसम्मत नहीं है और वास्तव में, अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि घटना की तिथि को अभियोक्त्री 16 वर्ष से कम आयु की थी। उन्होंने दूसरा तर्क यह दिया कि इस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, जब अभियोक्त्री अपीलार्थी के साथ एक सहमत पक्ष थी और दोनों ने अपने लंबे यौन

संबंधों का आनंद लिया था, इसलिए केवल इसलिए कि अभियोक्त्री अनुसूचित जनजाति की सदस्य है, विशेष अधिनियम की धारा 3(1)(**xii**) के तहत अपराध नहीं बनेगा।

(5) दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने इन तर्कों का विरोध किया। उन्होंने विशेष न्यायालय द्वारा दर्ज आयु के निष्कर्ष का समर्थन किया और उन्होंने दोनों गणनाओं के तहत दी गई दोषसिद्धि और दण्ड का भी समर्थन किया।

(6) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और इस प्रकरण विशेष के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) अभियोक्त्री की आयु सिद्ध करने के लिए, अभियोजन ने राजाराम (अभि.सा.3), अभियोक्त्री के पिता की परीक्षा कराई है और स्कूल के प्रधानाध्यापक, चमरू राम गौड़े (अभि.सा.5) की भी परीक्षा कराई है और आयु घोषणा पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे प्रदर्श पी.5 के रूप में सिद्ध किया गया है और प्रवेश रजिस्टर की प्रति-प्रदर्श पी.6 के रूप में सिद्ध की गई है। इन दस्तावेजों को सिद्ध करने के पश्चात, उनकी प्रतियां सत्र विचारण की नस्ती में प्रदर्श पी.5(सी) और पी-6(सी) के रूप में रखी गई हैं। अभि.सा.5 चमरू राम गौड़े ने अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियोक्त्री के प्रवेश के समय स्कूल में जमा किए गए घोषणा पत्र से पता चलता है कि उसकी जन्म तिथि 20-6-1986 थी। उन्होंने यह भी साक्ष्य दिया है कि वही जन्म तिथि प्रवेश रजिस्टर (प्रदर्श पी.6) में दर्ज की गई है। उन्होंने यह भी साक्ष्य दिया है कि लड़की

ने कक्षा-II उत्तीर्ण करने के बाद दिनांक 05.7.1993 को संस्था छोड़ दी थी। प्रवेश रजिस्टर प्रदर्श पी.6 की सामग्री यह दर्शाती है कि अभियोक्त्री को पूर्वोक्त संस्था में कक्षा-I में दिनांक 8.7.1992 को प्रवेश दिया गया था और इस दस्तावेज के अनुसार, उसकी जन्म तिथि 20.6.1986 दर्ज की गई थी। पिता के साक्ष्य, कंडिका-1 में यह आता है कि घटना के समय लड़की की आयु लगभग 15 वर्ष थी। यद्यपि, वह अपनी प्रतिपरीक्षा की कंडिका 8 में स्वीकार करता है कि जब लड़की को स्कूल में भर्ती कराया गया था, तब उसकी आयु लगभग 7 वर्ष थी। प्रवेश के समय दी गई जन्म तिथि की विशिष्ट प्रविष्टि के आधार के बारे में, इस साक्षी ने कथन किया है कि वह शिक्षित नहीं है, परंतु उसने प्रौढ़ शिक्षा योजना के तहत कुछ शिक्षा प्राप्त की थी। वह अपने विवाह की तिथि नहीं बता सकता। वह अपने पिता और माता की मृत्यु की तिथि नहीं बता सकता, परंतु वह कहता है कि उसके भाइयों में से एक, जो चपरासी है, उसने अभियोक्त्री की वास्तविक जन्म तिथि एक कागज पर लिखी थी और वह कागज उसे तब सौंपा था जब वह अभियोक्त्री को स्कूल में भर्ती कराने जा रहा था और उसने वही कागज स्कूल को सौंप दिया था। यदि इस साक्षी के साक्ष्य के इस हिस्से का परीक्षण प्रधानाध्यापक चमरू राम गौड़े (अभि.सा.5) के साक्ष्य के आलोक में किया जाए, तो वह पूरी तरह से असत्य प्रतीत होता है क्योंकि प्रधानाध्यापक ने अपनी प्रतिपरीक्षा की कंडिका 11 में स्वीकार किया है कि यह सच है कि जब कोई अशिक्षित व्यक्ति जन्म तिथि के नोट के साथ कोई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लिखित दस्तावेज लाता है, तो ऐसा कागज घोषणा पत्र के साथ संलग्न किया जाता है, परंतु उनके द्वारा लाए गए घोषणा पत्र के रजिस्टर में ऐसा कोई कागज संलग्न नहीं है। यह दर्शाता है कि पिता अपने इस दावे का समर्थन करने के लिए कुछ असामान्य साक्ष्य दे रहे हैं कि घटना की तिथि पर लड़की की आयु लगभग 15 वर्ष थी। जब हम अभियोक्त्री के साक्ष्य को देखते हैं, तो वह अपनी प्रतिपरीक्षा की कंडिका-8 में सीधे स्वीकार करती है कि स्कूल में प्रवेश की तिथि पर उसकी आयु लगभग 8 वर्ष रही होगी। उसके साक्ष्य की कंडिका 7 में यह भी आता है कि उसका मासिक धर्म घटना की तिथि से 8 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। महिला चिकित्सक श्रीमती किरण लता ठाकुर (अभि.सा.4) ने साक्ष्य दिया है कि लड़की पूर्णतः युवा हो चुकी थी और उसके द्वितीयक लैंगिक लक्षण सुविकसित थे, उसकी योनि में आसानी से दो उंगलियां जा रही थीं और वह 20 से 24 सप्ताह का गर्भ धारण किए हुए थी। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि चूंकि मांग पर्ची में लिखा था कि लड़की की आयु लगभग 15 वर्ष है, इसलिए उसने भी उसकी आयु 15 वर्ष लिखी है, परंतु चूंकि उसने उसके द्वितीयक यौन लक्षणों को अच्छी तरह से विकसित पाया है, इसलिए लड़की को वयस्क कहा जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) **बृज मोहन सिंह विरुद्ध प्रिय व्रत नारायण सिन्हा और अन्य एआईआर 1965 एस.सी. 282** के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वास्तविक जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति स्कूल में प्रवेश के समय

लड़के की गलत आयु देते हैं ताकि जीवन में बाद में उसे लोकसेवा की मांग करते समय लाभ मिल सके, जिसके लिए अक्सर न्यूनतम आयु पात्रता निर्धारित होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे निर्धारित किया कि तथ्य की विवेचना करने वाला न्यायालय प्रविष्टि के मूल्य का आकलन करते समय इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकता है और न्यायालय के लिए प्रविष्टि के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा, जब यह आरोप लगाया गया हो कि प्रविष्टि उपरोक्त उद्देश्य के साथ दी गई गलत जानकारी पर आधारित थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के प्रकरण में आयु के प्रश्न पर विचार करते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने **रौनक स्वरूप विरुद्ध राज्य एआईआर 1970 पी एण्ड एच 450** में अवलोकन किया कि यह सामान्य ज्ञान की बात है कि स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के प्रवेश के समय दी गई आयु सटीक होने से बहुत दूर होती है। अक्सर, माता-पिता और उनके बच्चों के अभिभावकों द्वारा, जो स्कूलों में प्रवेश पाते हैं, उनकी आयु को कम बताने और वास्तविक तिथि से बाद की जन्म तिथि देने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार, स्कूल प्रमाणपत्रों में दी गई आयु किसी छात्र की जन्म की सटीक तिथि के निर्धारण के लिए विश्वसनीय नहीं होती है, जिससे स्कूल के अभिलेखों में जन्म तिथि की प्रविष्टि संबंधित है।

(10) उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि पिता और प्रधानाध्यापक के साक्ष्य के आलोक में और आगे अभियोक्त्री और

महिला चिकित्सक के साक्ष्य के आलोक में, पिता द्वारा दी गई घोषणा के आधार पर की गई प्रविष्टि को सही माना जाना चाहिए ताकि इसे अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के तहत दोषी ठहराने के लिए लड़की की आयु निर्धारित करने हेतु विश्वसनीय बनाया जा सके। अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य के मूल्यांकन में, मेरा यह मानना है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह स्थापित नहीं कर सका कि घटना की तिथि पर लड़की की आयु 16 वर्ष से कम थी और मैं तदनुसार इसे अभिनिर्धारित करता हूँ। परिणामस्वरूप, मैं यह भी धारित करता हूँ कि चूंकि लड़की का नाबालिग होना सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए उसका आचरण यह दर्शाएगा कि वह अपीलार्थी के साथ एक सहमत पक्ष थी, जैसा कि विशेष न्यायाधीश द्वारा भी अभिनिर्धारित किया गया है। इस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के तहत दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है। इसे एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) जहाँ तक विशेष अधिनियम के तहत दोषसिद्धि का प्रश्न है, यह कहना पर्याप्त है कि मात्र यह तथ्य कि पीड़िता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित बालिका थी, विशेष अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करता है। इस तथ्य के अलावा कि अभियोक्त्री गोंड जाति की है, यह निष्कर्ष दर्ज करने के लिए कोई अन्य साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी ने विशेष अधिनियम की धारा 3(1) (**xii**) के तहत अपराध किया है। धारा 3(1)(**xii**) के तहत अपराध के लिए यह

सिद्ध किया जाना चाहिए कि अभियुक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिला की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में था, और उस स्थिति का उपयोग उसका यौन शोषण करने के लिए करता है, जिसके लिए वह अन्यथा सहमत नहीं होती। वर्तमान प्रकरण में, यह सामने नहीं आता है कि अभियुक्त हावी होने की स्थिति में था। अपितु अभियोक्त्री का आचरण और साक्ष्य यह दर्शाएगा कि उसने संभोग के लिए सहमति दी थी और संभोग कई बार इस तथ्य के कारण किए गए थे कि दोनों को एक-दूसरे से विवाह करना था। यदि कोई लड़की इस आधार पर कि वे जल्द ही विवाह करने जा रहे हैं, बहुत लंबी अवधि तक बार-बार संभोग के लिए सहमति देती है और वह संयोग से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सदस्य होती है, तो विशेष अधिनियम की धारा 3(1)(**xii**) के तहत अपराध नहीं बनेगा क्योंकि यह उसकी अपनी इच्छा थी कि उसने सहमति दी, जो प्रेम के कारण या अपीलार्थी के साथ विवाह करने के कारण हो सकती है। दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, विशेष अधिनियम की धारा 3(1)(**xii**) के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) परिणामतः अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि और दण्ड अपास्त की जाती है। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(**xii**) के तहत लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह

सूचित किया गया है कि अपीलार्थी कारावास में है। यदि किसी अन्य प्रकरण में उसकी अभिरक्षा आवश्यक नहीं है, तो उसे तत्काल मुक्त किया जाए।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur